State Vigilance Bureau, Gurgaon Range, Gurgaon

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्श 2013 प्र.सू.रि.स 1 दिनांक 11. 01.2013

2.अधिनियम टाई0पी0सी0 धाराएं 467,468,471,511 भा0द0स0

3.(क) घटना का दिन दिनांक वर्श 2006 दिनांक वर्श

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 11.01.13 समय 4.00 पी0एम0

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविश्टि संख्या) 7 समय 4.05 पी0एम0

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिषा एंव दूरी) जानिब–पूर्व/पष्चिम 5 किलो मीटर

(ख) पता : राजीव चौक से बादषाहपुर (ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम) बादषापुर गुडगांव।

6. (षिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :–

(क) नाम : श्रीमति सत्यावती, डी0एस0पी0/रा0चौ0ब्यू0/गुडगांव जांच क्रमांक 1/2009 गुडगांव पर दर्ज।

(ख) (पिता/पति का नाम)

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राश्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) सरकारी नौकरी (पता) राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. सुरेन्द्र कुमार मितल पुत्र श्री ि रम जीवन मितल निवासी म0न0 1355 सै0 18 हाउसिंग बोर्ड कालोनी फरीदाबाद,ठेंकेदार हुडडा विभाग गुडगंव।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्रीमति सत्यावती, उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ग्यूरो गुडगांव बदस्त ई0एच0सी0 सतपाल 710/नारनौल बराये करने दर्ज मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई जिसका विशय इस प्रकार से है प्रबन्धक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगंव। निवेदन है कि जांच क्रमांक 01 दिनांक 14.01.2009 गुडगांव मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक

58/45/2008–1 चौ0–II दिनांक 02.01.2009 की अनुपालना में दर्ज रजिस्टर की गई थी। जो निदेषक राज्य चौकसी ब्यूरो के पत्र क्रमांक 1064/1–2/रा0चौ0ब्यू0(ह0) दिनांक 19.01.09 के अनुसार इस ब्यूरो में पडताल हेतु प्राप्त हुई थी। जिसमें अन्य आरोप के अलावा आरोप न0 1 यह था कि हुडडा विभाग गुडगांव में राजीव चौक गुडगांव से बादषाहपुर तक रोड बनाने के कार्य का ठेका श्री एस0के0 मितल निवासी 1355/18 फरीदाबाद को 350.40 लाख रूप्ये पर दिया गया था। जो अचानक तारकोल, रोडी मैटिरीयल इत्यादि के भाव बढ जाने के कारण ठेकेदार को काफी नुकषान पडने के कारण तथा नुकषान से बचने के लिये एक्सन व एस0के0 मितल ठेकेदार ने मिली भगत करके उक्त ठेके को खत्म करवा दिया। तथा उक्त कार्य का यही ठेका बाद में वाई0एफ0सी0 एजेंसी को 735.80 लाख रूप्ये का दिया गया। जिससे सरकार को 285.40 लाख रूप्ये का नुकषान पहुचांया गया। इसके बाद श्री एस0के0मितल ठेकेदार कोर्ट में चला गया जो पैसा उसका रोका गया था उसके लिये और जो नुकषान हुआ उसके लिये जिसके सम्बन्ध में मन डी0एस0पी0 ने जांच अमल में लाई दौराने जांच पाया गया कि राजीव चौक से बादषापुर तक रोड बनाने का ठेका हुडडा विभाग द्वारा मैसर्ज वाई0एफ0सी0 प्रोजेक्ट लि0 को राजीव चौक से टिकरी पुलिया तक 0 से 2550 आर0डी0 तक 3,78,78,653 रूप्ये में तथा एस0के0 मितल ठेकेदार को टिकरी पुलिया से बादषापुर तक 3,71,33,086 रूप्ये में दिया हुआ था जों उपरोक्त दोनों ठेकेदारों को 7,50,11,739 रूप्ये में दिया हुआ था। जो उक्त कार्य 9 महीने के अन्दर पूरा करना थां हुडडा विभाग द्वारा वन विभाग से अनापति प्रमाण पत्र ना मिलने की वजह से यह कार्य षरू नही हो सका इस प्रकार 9 महीने का समय पूरा होने के बाद उपरोक्त दोनों ठेकेदारो ने यह कार्य पूरा करने के लिये मना कर दिया। मुख्य प्रषासक हुडडा पंचकुला के पत्र क्रमांक दिनांक 08.01.2007 को उपरोक्त कार्य की अलाटमैन्ट श्री एस0के0 मितल की रदद कर दी गई। तथा दिनांक 05.02.2007 को वाई0एफ0सी0 प्रोजेक्ट प्रा0लि0 गुडगांव की अलाटमैन्ट मुख्य प्रषासक हुडडा विभाग द्वारा रद कर दी गई है। दिनांक 02.03.2007 को वाई0एफ0सी0 प्रोजेक्ट लि0 गुडगांव ने उपरोक्त कार्य के लियें दौबारा टैन्डर भर दिया तथा उक्त कार्य का ठेका दिनांक 22.03.207 को 7,35,72,81'9 रूप्ये में राजीव चौक से बादषाहपुर नाले तक रोड बनाने का ठेका हुडडा विभाग द्वारा वाई0एफ0सी0 प्रोजेक्ट लि0 गुडगांव को अलाट कर दिया गया। जो वाई0एफ0सी0 प्रोजेक्ट लि0 कम्पनी ने रोड बनाने का कार्य पूरा कर दिया तथा इसकी पूरी अदायगी हुडडा विभाग गुडगांव द्वारा की जा चुकी है। इस प्रकार हुडडा विभाग/सरकार को उपरोक्त कार्य की बाद में अलाटमैन्ट करके वाई0एफ0सी0 प्रोजेक्ट लि0 से राजीव चौक से बादषापुर तक रोड बनाने के कार्य ने कोई वितिय हानि नही होनी पाई गई। इसके अलावा यह भी पाया गया कि प्रतिवादी श्री एस0के0 मितल ठेकदार द्वारा टीकरी पुलिया से बादषाहपुर तक रोड बनाने के कार्य में मिटटी डालने का कोई भी कार्य मौके पर नही किया गया। और नाही किसी प्रकार के मिटटी से सम्बन्धित बिल/रिकार्ड पेष किया गया। श्री एस0के0 मितल ठेकेदार द्वारा मिटटी का कार्य किया जाना नही पाया गया तथा श्री एस0के0 मितल ठेकेदार की जांच श्री अमरीक सिंह चीफ इंजिनियर ने भी की थी जिसने एस0के0 मितल ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने का सुझाव दिया था।

अतः श्री सुरेन्द्र कुमार मितल सपुत्र श्री रामजीवन मितल निवासी म0न0 1355 सै0 18 हाउसिंग बोर्ड कालोनी फरीदाबाद तत्कालीन ठेकेदार हुडडा विभाग ने टीकरी पुलिया से बादषाहपुर तक रोड बनाने के कार्य में मिटटी डालने के कार्य का 29,40,825 रूप्ये का फर्जी/बोगस बिल बनाकर हुडडा विभाग में कलेम प्राप्त करने के लिये देकर जुर्म जेर धारा 467,468,471 भा0द0स0 का अपराध किया जो प्रतिवादी श्री एस0के0 मितल उपरोक्त के खिलाफ जुर्म जेर धारा 467,468,511 भा0द0स0 के अर्न्तगत मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया गया था। अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग से आदेष क्रमांक 58/45/2008–1 चौ0(II) दिनांक 15.11.12 व महानिदेषक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के कार्यालय के आदेष क्रमांक 15951/1–2/रा0चौ0ब्यू0(ह0) दिनांक 22.11.12 प्राप्त हुये है। जिसमें श्री सुरेन्द्र कुमार मितल सपुत्र श्री राम जीवन मितल निवासी म0न0 1355 सै0 18 हाउसिंग बोर्ड कालोनी फरीदाबाद ठेकदार हुडडा विभाग गुडगांव के विरूद्ध जुर्म जेर धारा 467,468,511 भा0द0स0 के अंर्न्तगत मुकदमा दर्ज किया जावे। इसके अतिरिक्त अन्य कर्मचारी/अधिकारी या किसी प्राईवेट व्यक्ति की मिलीभगत पाई जावे तो उसे भी तफतीष के दौरान देख लिया जावे। जिसकी तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बादस्त :– इ.एच.सि सतपाल न0 710/नारनौल के थाना भेजी जा रही है। बाद कायमी मुकदमा आगामी तफतीष हेतु मिषल मुकदमा के पास भिजवाई जावें। हस्ता हिन्दी सत्यावती, उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगंव दिनांक 11.01.2013 अज थाना :– आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बाजुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया । एफ0आई0आर0 की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई जो सेवा में अफसरानबाला भेजी जायेगी। एक पर्त एफ0आई0आर0 बतौर स्पैषल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब गुडगंव बादस्त आरिन्दा ई0एच0सी0 सतपाल 710/नारनौल भेजी जा रही है। असल मिसल पुलिस मय आमदात तहरीर मय जांच रिकार्ड आगामी तफतीष हेतु निरीक्षक कुलवन्त सिंह थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव दी जा रही है।

हस्ता अग्रेंजी/– कुलवन्त सिंह
थाना प्रभारी का नाम
नाम : कुलवन्त सिंह
पद : निरीक्षक
सख्यां : 55/एस.आर
दिनांक 11.01.13 समय 6.00 पी0एम0

श्रीमान जी,

नकल मुताबिक असल है।